# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

( बिहार सरकार का उपक्रम )

कौटिल्य नगर, पटना–14.

रंजन कुमार सिन्हा
भा0प्र0से0(से0नि0)
स चि व

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727,
मोबाईल नं0 : 9471006810
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं0– XXIII/EST-MISC-16/2017 पटना, दिनांक–...........................2023

## कार्यालय आदेश सं0–...219/2023

भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 अधिसूचित किए जाने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–03/एम0–72/2014/17903, दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से पूर्व के संकल्पों/अनुदेशों को रद्द कर, भारत सरकार के उक्त अधिनियम के आलोक में कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न(निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत निर्देश निर्गत किया गया है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा–4(1) के अनुसार किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश के द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा। अधिनियम की धारा–4(2)ग के अनुसार इस समिति में, गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं की प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उतपीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है, नामित किया जायेगा। अधिनियम की धारा–4(3) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियोक्ता द्वारा नामित करने की तिथि से 3 वर्षों का होगा।

उपर्युक्त अधिनियम के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–205/2023 दिनांक–01.06.2023 द्वारा गठित समिति को संशोधित कर निगम में महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अधिनियम की धारा–4(1), 4(2)ग एवं 4(3) के आलोक में आंतरिक परिवाद समिति का पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है:–

| क्रम सं0 | नाम/पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य | मोबाईल नं0 तथा ईमेल आई0डी0 |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती शिखा | अध्यक्ष | 9471009810<br>csecypolicenigam@bihar.gov.in |
| 2. | श्रीमती रंजु कुमारी,<br>प्रारूपक | सदस्य | 6299606158<br>rk2174178@gmail.com |
| 3. | श्रीमती अर्चना कुमारी,<br>निम्नवर्गीय लिपिक | सदस्य | 6202648897<br>biharpolice_nigam@yahoo.co.in |
| 4. | श्रीमती रानी कुमार,<br>अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय,<br>A.O.R/ Enrollment Number : 00429/ 7310/ 99 | बाह्य सदस्य | 9308408071<br>rani1004singh@gmail.com |

आंतरिक परिवाद समिति, प्राप्त शिकायतों पर अधिनियम की धारा 11,12,13,14 एवं 15 के आलोक में जॉच कर कार्रवाई करेगी तथा धारा–21 के तहत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त शिकायतों के संबंध में वार्षिक रिर्पाट सी0एम0डी0 के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगी।

2. वर्तमान में निगम में कुल–13 महिला कर्मी कार्यरत हैं। इसमें 11 महिला कर्मी निगम, मुख्यालय में पदस्थापित हैं। शेष 02 में एक श्रीमती गीता देवी, राजगीर प्रमण्डल में सफाई कर्मी के रूप में तथा दूसरी सुश्री हिमांशी कुमारी, बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर मगध प्रमण्डल में कार्यरत हैं।

3. अतः उपर्युक्त कंडिका–1 की समिति बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के राजगीर प्रमण्डल एवं मगध प्रमण्डल के लिये भी आंतरिक परिवाद समिति के रूप में कार्य करेगी। इन दोनों प्रमण्डल का उपर्युक्त अधिनियम के तहत परिवाद, समिति के अध्यक्ष श्रीमती शिखा को उनके ई–मेल आई0डी0–**csecypolicenigam@bihar.gov.in** पर भी भेजा जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक के आदेश से,

ह0/–

सचिव।

ज्ञापांक 1Ho 2079/ पटना दिनांक – 15/6/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती शिखा, कंपनी सचिव/ श्रीमती रानी कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, ई मेल आईडी–**rani1004singh@gmail.com**/श्रीमती रंजु कुमारी, प्रारूपक एवं श्रीमती अर्चना कुमारी, ,निम्नवर्गीय लिपिक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनेटरिंग/अधीक्षण अभियन्ता, अंचल–1 एवं 2/मुख्य लेखा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता, गुणनियंत्रण, बी0ओ0क्यू0, निरूपण, मोनेटरिंग/सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल/ विधुत (परामर्शी)/वास्तुविद/कंपनी सचिव एवं पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. निगम में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

4. श्री जितेन्द्र गिरि को उपर्युक्त आदेश निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5. सूचना पट्ट पर चिपकाने हेतु निर्गत शाखा को प्रेषित।

सचिव।